962

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 05–3/06/1–3 भोपाल दिनांक 08.02.2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय :– मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक अपील(सिविल) 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही बावत्।

संदर्भ:– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क. एफ 5–3/2004/एक/3, भोपाल दिनांक 16 मई 2007

मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषयांकित प्रकरण क. अपील(सिविल) 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.06 को पारित निर्णय के आधार पर दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में संदर्भित ज्ञापन दिनांक 16 मई 2007 द्वारा निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों के पालन में कार्यवाही करने के संबंध में कुछ कठिनाईयां विभागों द्वारा अनुभव की जा रही है अतः विभागों से प्राप्त परामर्श बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

क.	परामर्श बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	ऐसे दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति विज्ञापन एवं रोजगार कार्यालय के माध्यम से नाम बुलाकर नहीं की गई हैं। ऐसी नियुक्तियां अवैध नियुक्ति की श्रेणी में मानी जाए अथवा अनियमित नियुक्ति मानी जाए ?	ऐसी नियुक्तियां अनियमित मानी जाएगी। यदि ये स्वीकृत पद के विरूद्ध की गई हैं तथा भरती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परन्तु यदि पद ही नहीं थे तो ऐसी नियुक्तियां अवैध होगी।

क्र.	परामर्श बिन्दु	स्पष्टीकरण
2	शासन द्वारा दिनांक 31.12.88 के बाद दैनिक वेतन पर रखे गए कर्मचारियों की सेवाए सा0प्रावि0 के ज्ञापन, दिनांक 14 फरवरी एवं 28 फरवरी 2000 द्वारा समाप्त की गई है। इन कर्मचारियों को शासन के परिपत्र दिनांक 21 जनवरी 2004 द्वारा पुन: सेवा मे लिए जाने के निर्देश जारी किए गए है। ऐसे कर्मचारियों की सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाना है अथवा पुन: बहाली के दिनांक से ? सेवा से पृथक करने के पूर्व की सेवा अवधि एवं सेवा में बहाली की सेवा अवधि मिलाकर 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होती है तो क्या इनको 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो की सूची में शामिल किया जा सकता है अथवा नही ?	दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण हेतु 2001 से 2004 तक के मध्य सेवा अवधि मे जो ब्रेक है उसे ब्रेक न माना जाए।
3	पूर्व मे कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो को सेवा मे लिए जाने के समय नियमित पद स्वीकृत नही थे परन्तु वर्तमान में नियमित पद स्वीकृत है। क्या ऐसा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उपलब्ध नियमित पदों पर नियमित किया जा सकता है ?	यदि पद स्वीकृत नही है तो उनके विरूद्ध भरती अवैध है अनियमित नही है। ऐसी अवस्था में ऐसे कर्मचारियों को नियमित नही किया जा सकता है।
4	आकस्मिकता निधि, कार्यभारित सेवा के स्वीकृत पद उपलब्ध होने पर इन पदो पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है अथवा नही ?	आकस्मिकता निधि और कार्यभारित सेवा के स्वीकृत पद उपलब्ध होने पर इसी काडर में 10 साल से मौजूद अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है अन्य काडर से इस काडर में लेना नियमितीकरण में नही आता है।
5	यदि विभाग/पद अस्थायी है जिनकी अवधि में वृद्धि के लिए प्रति वर्ष शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाती है तो क्या ऐसे पदों पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है ?	यदि किसी विभाग के पद अस्थायी है और 10 साल से अधिक उनका नवीनीकरण किया जाता रहा है तो ऐसे पदों के संबंध में भी नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है परन्तु कर्मचारी को स्थायी नही किया जा सकता क्योंकि पद स्थायी नही है।

क.	परामर्श बिन्दु	स्पष्टीकरण
6	आकस्मिकता निधि से कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर स्वीकृत पदों पर कार्यरत् कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 16.5.2007 के पैरा– 5.3 के अंतर्गत नियमित वेतनमान मे नियुक्ति दी जा सकती है अथवा नही ?	जिस कांडर में कर्मचारी सेवा में मौजूद है उसी काडर में उनकी सेवाए 10 साल निरंतर होने पर नियमितीकरण किया जाएगा। किसी अन्य काडर में या अन्य वेतनमान मे उसे लिया जाना नियमितीकरण की परीधि में नही आता है इसके लिए पदोन्नति या नयीन नियुक्ति शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा।
7	यदि किसी कर्मचारी को अस्थायी नियमित वेतनमान के स्वीकृत पद पर दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति की गयी है व बाद मे यह पद जिला अध्यक्ष दर पर दैनिक मजदूरी का हो गया हो ऐसी स्थिति में इसके नियमितीकरण के लिए क्या प्रकिया होगी ?	जो पद दैनिक वेतन मजदूरी का उसमे यदि कोई व्यक्ति अनियमित रूप से नियुक्त होकर 10 साल से अधिक से कार्य कर रहा है तो उसके नियमितीकरण का तात्पर्य यह होगा कि उसे अनियमित नियुक्ति के कारण नही निकाला जाएगा इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का नियमितीकरण संभव नही है।
8	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी रोस्टर दिनांक 8.4.94 से नियमित पदस्थापना पर लागू है। यदि 1994 के बाद किसी जिला अध्यक्ष दर पर दैनिक मजदूरी के पद के विरूद्ध नियुक्ति की जाती है तो इस नियुक्ति पर आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा अथवा नही ?	यदि आरक्षण का निर्धारित कोटा पूर्ण है तो रोस्टर का पालन न होने की स्थिति में नियुक्ति को अनियमित माना जाएगा न की अवैधानिक।

कृपया दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु छानबीन समिति की बैठक आयोजित कर जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग को 29 फरवरी 2008 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं।

8/2/08

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग